बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

सं०सं० अ०सां०नि०/स्था0 13–06/2018......13..... /पटना, दिनांक......22-11-18......

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, शिवहर एवं सिवान।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹1,04,51,950/–(कुल एक करोड़ चार लाख एकावन हजार नौ सौ पचास रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक–354/वि० दिनांक–28.03.18 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 28.03.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका–3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111–जन्म–मृत्यु सांख्यिकी, 0001–सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0–35 एवं विपत्र कोड–**35–3454021110001** है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक–1 एवं 2 से 13 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण–पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।
7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05वीं तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।
9. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NIELIT) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना है।
10. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

बजट सहा० प्रशाखा पदा० उप निदे०(ले०) संयुक्त नि०(प्र०) निदेशक

ज्ञापांक ....*13*..... / पटना, दिनांक ....*22-11-18*.....

प्रतिलिपिः 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक ....*13*..... / पटना, दिनांक ....*22-11-18*.....

प्रतिलिपिः 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक ....*13*..... / पटना, दिनांक....*22-11-18*.....

प्रतिलिपिः 1. योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा)।

2. वरीय संयुक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में) / निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने एवं निर्गत करने हेतु प्रेषित ।

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई–मेल पर प्रेषित करने एवं निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करने / कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02– सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111–जन्म–मृत्यु सांख्यिकी, उप शीर्ष– 0001– सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 का आवंटन विवरणी। मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड–35.3454021110001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01–01 वेतन	01–03 जीवन यापन भत्ता	01–04 मकान किराया भत्ता	01–05 परिवहन भत्ता	01–06 चिकित्सा भत्ता	01–07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06–01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11–01 यात्रा व्यय	13–01 कार्यालय व्यय	13–03 दूरभाष	13–04 विद्युत प्रभार	13–05 विधि प्रभार	13–06 वर्दी/ पोशाक	20–03 प्रशिक्षण व्यय	28–02 व्यवसायिक सेवाएं/ संविदा सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	3000000	250000	700000	0	68000	0	4018000	0	0	200000	0	0	30000	55000	22500	0	4325500
जिला सांख्यिकी कार्यालय																		
2	भोजपुर	683600	70000	88200	6400	3000		851200		0	0	0	0	0	0	0	0	851200
3	नवादा	390500	0	0	0	0	0	390500	0	0	25000	0	0	0	10000	0	0	425500
4	बेगूसराय	946550	39150	54650	4500	4500		1049350	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	1059350
5	लखीसराय	287100	25900	23000	0			336000	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	342000
6	जमुई	238800	17000	20000	0	3000		278800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278800
7	भागलपुर	454000	248600	42700	0	0	0	745300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745300
8	बांका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000
9	सहरसा	300000	30000	25000	0	0	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355000
10	सुपौल	950000	95000	50000	0	1800	0	1096800	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	1206800
11	मधुबनी	550000	50000	50000	0	4000	0	654000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654000
12	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
13	सिवान	132000	21500	12500	0	2500	0	168500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168500
	कुल योगः-	7932550	847150	1066050	10900	86800	0	9943450	0	0	265000	0	120000	30000	65000	28500	0	10451950

(एक करोड़ चार लाख एकावन हजार नौ सौ पचास रुपये मात्र)

बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

उप निदेशक (लेखा)

संयुक्त निदेशक(प्र०)

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय